



कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई, जिला-दुर्ग

प्रधानमंत्री आवास योजना – सबके लिए आवास मिशन (शहरी)

पृ.क्र./प्रधानमंत्री आ.यो./मु.कार्या/2025/ 1554
प्रति,

भिलाई, दिनांक - 17/12/2025

1. कलेक्टर महो. जिला दुर्ग

(द्वारा प्रतिनिधि श्री उत्तम कुमार ध्रुव, डिप्टी कलेक्टर दुर्ग)

विषय :- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) ए.एच.पी. किफायती आवास "मोर मकान-मोर आस" एवं "मोर मकान-मोर चिन्हारी" घटक अंतर्गत शासन से स्वीकृत परियोजना स्थलों में निर्मित/निर्माणाधीन आवासों का लॉटरी पद्धति से आवास आबंटन किये जाने के संबंध में।

—0—

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) ए.एच.पी. किफायती आवास "मोर मकान-मोर आस" एवं "मोर मकान-मोर चिन्हारी" घटक के विभिन्न परियोजना स्थलों में निर्मित/निर्माणाधीन आवासों का आबंटन हेतु सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर कुल अंशदान राशि का 10 प्रतिशत अंशदान राशि तथा बेदखली व्यवस्थापन हेतु हितग्राही अंशदान राशि 75000.00 रु. निगम कोष में जमा कराकर नियमानुसार लॉटरी पद्धति से वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांगजनों को प्राथमिकता के आधार पर भूतल के आवासों में तथा अन्य आवेदकों को भूतल में निर्मित आवासों के साथ-साथ अन्य तल (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तल) के आवासों को सम्मिलित कर लॉटरी द्वारा आवास आबंटन दिनांक 29/12/2025 को समय 12:30 बजे लॉटरी द्वारा किया जाना है।

अतः दिनांक 29/12/2025 को लॉटरी स्थल मुख्य कार्यालय के सभागार में समय 12:30 बजे उपस्थित होने का कष्ट करेंगे।
आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित !

नोडल अधिकारी

प्रधानमंत्री आवास योजना
नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक - 17/12/2025

पृ.क्र./प्रधानमंत्री आ.यो./मु.कार्या/2025/ 1555
प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर महो. जिला-दुर्ग को सादर सूचनार्थ।
2. महापौर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ।
3. सभापति, नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ।
4. नेता प्रतिपक्ष श्री भोजराज सिन्हा जी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ।
5. वार्ड क्र. पार्षद श्री/श्रीमती नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ।
6. अध्यक्ष नगरी परियोजना एवं भवन अनुज्ञा विभाग न.पा.नि. भिलाई को सादर सूचनार्थ।
7. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम भिलाई को सादर सूचनार्थ।
8. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, छावनी भिलाई दुर्ग, को सादर सूचनार्थ।
9. थाना प्रभारी, थाना सुपेला को शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु सूचनार्थ।
10. जोन आयुक्त जोन 1,2,3,4, एवं 5 नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
11. कार्यपालन अभियंता (PMAY) नगर पालिक निगम, भिलाई, को उक्त लॉटरी तिथि के पूर्व लॉटरी द्वारा आवास आबंटन करने हेतु पूर्ण रूप से निर्मित निवास करने योग्य परियोजनावार एवं ब्लॉकवार रिक्त आवासों की सूची प्रभारी योजना अधिकारी को उपलब्ध कराये ताकि लॉटरी द्वारा आवास आबंटन किया जा सके, के संबंध में पालनार्थ एवं सूचनार्थ।
12. लेखाधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
13. सहायक अभियंता/उप अभियंता (PMAY) नगर पालिक निगम, भिलाई को लॉटरी स्थल पर व्यवस्था करने हेतु पालनार्थ एवं सूचनार्थ।
14. राजस्व अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
15. प्रभारी अधिकारी भवन संधारण नगर पालिक निगम, भिलाई को साभागार कक्ष में लॉटरी स्थल में आवश्यक व्यवस्था करने पालनार्थ एवं सूचनार्थ।
16. प्रभारी अधिकारी जनसंपर्क नगर पालिक निगम, भिलाई को लॉटरी में विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी तथा दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन करने आदि की व्यवस्था करने पालनार्थ एवं सूचनार्थ।
17. प्रभारी अधिकारी प्रधानमंत्री आवास योजना नगर पालिक निगम, भिलाई को लॉटरी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही कराकर लॉटरी प्रक्रिया कराने हेतु पालनार्थ एवं सूचनार्थ।
18. प्रभारी लिपिक (PMAY) नगर पालिक निगम, भिलाई को सम्पूर्ण नस्ती प्रस्तुत करने एवं आवश्यक कार्यवाही प्रस्तुत करने पालनार्थ एवं सूचनार्थ।

नोडल अधिकारी

प्रधानमंत्री आवास योजना
नगर पालिक निगम, भिलाई